6. विपणन में कठिनाइयां,

7. कच्ची सामग्री तथा विद्युत सहित अन्य आवकों की उपलब्धता में कठिनाइयां।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र के विभिन्न वित्तीय पहलुओं पर वाणिज्यिक बैंकों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बैंकों को लघु उद्योग को कार्यशील पूंजी ऋण सीमायें मुहैया कराने की सलाह दी गई है जो कि उन लघु उद्योग के लिए उनकी परियोजित वार्षिक आमदनी को कम से कम 20% के आधार पर गणना की गई हो जिनकी कुल निधि—आधारित कार्यशील पूंजी ऋण सीमा एक करोड़ रु० तक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस सीमा को 2 करोड़ रु० तक बढ़ाने का हाल ही में निर्णय लिया है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक इसके प्रारंभ से ही एकल खिड़की योजना चला रहा है जिसके अंतर्गत निर्धारित परिसम्पत्तियों तथा कार्यशील पूंजी के लिए मिश्रित सहायता को उसी अभिकरण द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र की इकाइयों के लिए बढ़ाया जाता है। यह योजना राज्य वित्त निगमों, लघु उद्योग विकास निगमों तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा चलाई जाती है। यह सुनिश्चित करने को ध्यान में रखते हुए कि ऋण के वितरण में विलम्ब न हो, बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अभ्यावेदन के निपटान के लिए समय सीमा का पालन करें। यद्यपि 25000 रु० की ऋण सीमा तक के आवेदक एक पखवाड़े में निपटाये जाने चाहिए इसलिए 25000 रु० से अधिक के आवेदन प्राप्त होने के 8 से 9 सप्ताह में निपटाये जाने चाहिए, सीमाओं में वृद्धि के लिए अनुरोधों पर शीघ्रता से विचार किया जाना चाहिए तथा हर हालात में छः सप्ताह के भीतर शीघ्रता से निर्णय लिया जाना चाहिए।

रूग्णता की समस्या से निपटने के लिए, नायक समिति ने कतिपय सिफारिशें की तथा तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को रूग्ण लघु उद्योग इकाइयों की परिभाषा संशोधित करने, पुनर्वास के लिए ब्याज दर कम करने, पता लगाये गई रूग्ण इकाइयों का शीघ्र व्यावहमिता अध्ययन। सुधार कार्यक्रमों, रूग्ण इकाइयों के कार्यों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रीय केन्द्रों तथा मुख्यालय में कक्ष स्थापित करने तथा तकनीकी पहलुओं को देखने के लिए तकनीकी कर्मियों सहित विशेषज्ञ स्टाफ का प्रावधान करने की सलाह दी है।

Growth rate of Cement

1296. SHRI PREM CHAND GUPTA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that growth rate for the cement industry declined from 11.2% in 1995-96 to 9.5% in 1996-97; and

(b) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) and (b) The production and growth rate in the cement industry during the previous 3 years was as follows:—

Year	Production (in Million tonnes)	Growth Rate
1994-95	62.35	7.6%
1995-96	69.55	11.6%
1996-97	76.22	9.6%

The marginal decline in growth rate in 1996-97 was due to sluggish market conditions. However, the growth rate achieved by the cement industry is quite satisfactory and the target of 76 million tonnes fixed for the year was exceeded.

Approval for setting up of a holding company

1297. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government while granting approval for setting up a holding company requires the foreign investor concerned to reapproach Government for investment in the downstream subsidiary in the approved activity;

(b) whether Government will instead consider permitting the holding company to make the investment in the downstream subsidiary for the approved activity, while merely requiring it to provide all investment details to Government on a periodical basis;